न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 04/2025(GCMS : 2025/4)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक बैंक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्रीमती पुष्पा** पत्नी श्री निरंजन कुमार निवासी मकान संख्या 111 नीलकण्ड विहार–2, श्रीगंगानगर
2. **श्री निरंजन कुमार** पुत्र सतपाल शर्मा निवासी मकान संख्या 111 नीलकण्ड विहार–2, श्रीगंगानगर
3. **अजीज मोहम्मद** पुत्र श्री शेर मोहम्मद निवासी मकान संख्या 53 एफ ब्लॉक, वार्ड नं. 28, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता सुश्री किरण कुमारी एवं अनचन रानी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी पुष्पा, निरंजन कुमार एवं अजीज मोहम्मद को ऋण सुविधा के रूप में 23.50/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 31.07.2022 को 27,68,888/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी पुष्पा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लाट नम्बर 3 जी 5 सद्भावना नगर, जिला श्रीगंगानगर पेज नं. 90, बुक नं. 1, वॉल्यूम संख्या 1390 सेल डीड संख्या 03103146 दिनांक 02.05.2018 उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर साईज 25 गुणा 49 (1228 स्केयर फीट)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** पुष्पा, निरंजन कुमार एवं अजीज मोहम्मद को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 30.04.2018 को 5.00/— लाख रूपये एवं दिनांक 07.05.2018 को 18.50/— लाख रूपये कुल 23.50/— लाख रूपये (अखरे रूपये तेईस लाख पचास हजार मात्र) **की स्वीकृति प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पुष्पा ने अपनी अचल सम्पत्ति **प्लाट नम्बर 3 जी 5 सद्भावना नगर, जिला श्रीगंगानगर पेज नं. 90, बुक नं. 1, वॉल्यूम संख्या 1390 सेल डीड संख्या 201803103103146 दिनांक 02.05.2018 उपपंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर प्लॉट साईज 25 गुणा 49 (1228 स्केयर फीट),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.08.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हुई है अथवा नहीं? का पता नहीं चलता है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी पुष्पा की अचल सम्पत्ति प्लाट नम्बर 3 जी 5 सद्भावना नगर, जिला श्रीगंगानगर पेज नं. 90, बुक नं. 1, वॉल्यूम संख्या 1390 सेल डीड संख्या 201803103103146 दिनांक 02.05. 2018 उपपंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर प्लॉट साईज 25 गुणा 49 (1228 स्केयर फीट),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.08.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.08.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक दिनांक 02.08.2022 को** भिजवाये है जिसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहै परन्तु धारा 13(2) के नोटिस के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नही है, जिससे यह पता नहीं चलता कि अप्रार्थीगण को नोटिस तामील हुए है अथवा नहीं? प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के हस्ताक्षरयुक्त 13(2) के नोटिस की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही [illegible]त्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** [illegible] ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी पुष्पा द्वारा प्रार्थी बैंक [illegible] पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लाट नम्बर 3 जी 5 सद्भावना नगर, जिला श्रीगंगानगर पेज नं. 90, बुक नं. 1, वॉल्यूम संख्या 1390 सेल डीड संख्या 201803103103146 दिनांक 02.05.2018 उपपंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर प्लॉट साईज 25 गुणा 49 (1228 स्केयर फीट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर